न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/34)

श्रीमति शांतिदेवी धर्मपत्नी श्री सांवलराम जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 53, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये मुखत्यारआम श्री सांवलराम पुत्र स्व. श्री सोनाराम जाति जाट निवासी वार्ड नंबर 53 हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिल हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री धीरेन्द्र सिह भदौरिया – अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 19.10.2022**

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 90 ए– (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, संशोधित अधिनियम सन् 2012 Layout Plan दिनांक 28.04.2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने दिनांक 04.05.2022 को जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील प्रस्तुत की, जिला कलक्टर हनुमानगढ ने उक्त अपील क्षेत्राधिकार में नही होने का हवाला देते हुए दिनांक 24.05.2022 को अपीलान्ट को संक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने के आदेश दिये। जिस पर अपीलान्ट यह अपील दिनांक 07.06.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि चक 51 एनजीसी तहसील हनुमानगढ में खाता सं. 62/60 सम्वत 2052 तादादी 2.872 हैक्टेयर प्रेमकुमार– राजकुमार– रोशनलाल–श्यामसुन्दर–

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सुखदेवराम पुत्रगण की चानणराम जाति अरोड़ा निवासी हनुमानगढ जक्शन की खातेदारी भूमि थी। अपीलान्ट ने उक्त भूमि खातेदारो से जरिये रजिस्ट्र्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1994 को पत्थर नंबर 124 / 257 (28) किला नं. 22 में 0.025 हैक्टेयर अर्थात 2722.50 वर्गफीट भूमि खरीद की तथा इस भूमि का कब्जा अपीलान्ट को मौका पर सुपुर्द किया। बैयनामा के आधार पर अपीलान्ट के नाम इन्तकाल सं. 174 दिनांक 05.12.2002 को दर्ज हुआ तथा जमाबन्दी में अपीलान्ट के नाम 0.025 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई। अपीलान्ट ने खरीद शुदा भूमि पर नीव खोदकर चारदीवारी कर तारबन्दी की। सन् 1995 मे घग्घर नदी के उत्तरी तटबंध टूट जाने के कारण हनुमानगढ जंक्शन में बाढ आ जाने से भूखण्ड की चारदीवारी व तारबन्दी ध्वस्त हो गई लेकिन इस भूखण्ड की नीवे आज भी मौजूद है। चक 51 एनजीसी नगरीय क्षेत्र मे आने से इस भूमि पर दिनांक 17.06.1999 से पूर्व बसी कॉलोनियो को रेस्पोडेन्ट ने प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनाक 28.08.2009 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग करते हुए कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीयो कॉलोनियो का सुविधा क्षेत्र का अनुपात 30 प्रतिशत से कम होने के कारण ले आउट प्लान का अनुमोदन किया गया। रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी ने ले आउट प्लान तैयार करने से पूर्व उक्त भूमि पर काबिज व खातेदार व्यक्तियो का कोई सर्वे नही किया गया तथा ले आउट प्लान हेतु निर्धारित मापदण्ड का पालन नही किया जिसके कारण अपीलान्ट के भूखण्ड को आवासीय क्षेत्र में न रखकर गलत रूप से सुविधा क्षेत्र व सड़क मार्ग मे दिखा दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा चक 51 एनजीसी की कृषि भूमि पर सावनसिह कॉलोनी के लिए अनुमोदित ले आउट प्लान में पत्थर नंबर 124 / 257 (28) किला नंबर 22 में नियोजित **Road 25′ vide** व उसके साथ **Open Space** के भूखण्ड को संशोधित कर अपीलान्ट के अधिपत्य व कब्जा के भूखण्ड हेतु भूखण्ड नियोजित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने यह अपील तहसील हनुमानगढ के चक 51 एनजीसी के पत्थर नं. 123/257 व 24/257 के Layout Plan दिनांक 28.04.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलान्ट Layout Plan को निरस्त/संशोधित करवाना चाहता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए (9) के तहत अदालतवाला को प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा धारा 90 ए के अन्तर्गत पारित आदेशो के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है। अपीलान्ट ने धारा 90 ए के आदेश के विरूद्व अपील नही कर Layout Plan के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है जिसके विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अदालतवाला को हासिल नही है। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार विहीन होने से खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर